CHAPTER - XI ASSESSMENT AND AUDIT

Rule 98: Provisional Assessment

- (1) Every registered person requesting for payment of tax on a provisional basis in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 60 shall furnish an application along with the documents in support of his request, electronically in **FORM GST ASMT-01**, on the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.
- (2) The proper officer may, on receipt of the application under sub-rule (1), issue a notice in FORM GST ASMT-02 requiring the registered person to furnish additional information or documents in support of his request and the applicant shall file a reply to the notice in FORM GST ASMT-03, and may appear in person before the said officer if he so desires.
- (3) The proper officer shall issue an order in **FORM GST ASMT-04**, allowing the payment of tax on provisional basis indicating the value or the rate or both on the basis of which the assessment is to be allowed on a provisional basis and the amount for which the bond is to be executed and security to be furnished not exceeding twenty five per cent. of the amount covered under the bond.
- (4) The registered person shall execute a bond in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 60 in FORM GST ASMT-05 along with a security in the form of a bank guarantee for an amount as determined under sub-rule (3):
 - **Provided that** a bond furnished to the proper officer under the State Goods and Services Tax Act or Integrated Goods and Services Tax Act shall be deemed to be a bond furnished under the provisions of the Act and the rules made thereunder.
 - **Explanation–**For the purposes of this rule, the expression "amount" shall include the amount of integrated tax, central tax, State tax or Union territory tax and cess payable in respect of such transaction.
- (5) The proper officer shall issue a notice in **FORM GST ASMT-06**, calling for information and records required for finalization of assessment under sub-section (3) of section 60 and shall issue a final assessment order, specifying the amount payable by the registered person or the amount refundable, if any, in **FORM GST ASMT-07**.
- (6) The applicant may file an application in **FORM GST ASMT-08** for release of security furnished under sub-rule (4) after issue of order under sub-rule (5).

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

(7) The proper officer shall release the security furnished under sub-rule (4), after ensuring that the applicant has paid the amount specified in sub-rule (5) and issue an order in **FORM GST ASMT-09** within a period of seven working days from the date of receipt of the application under sub-rule (6).

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

अध्याय 11 मूल्यांकन और संपरीक्षा

नियम 98 : अनंतिम मूल्यांकन

- (1) धारा 60 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन अनंतिम आधार पर कर के संदाय के लिए आवेदन करने वाला प्रत्येक रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किए गए सुविधा केन्द्र के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी एएसएमटी—01 में इलैक्ट्रानिक रूप से अपने आवेदन के समर्थन में दस्तावेजों के साथ आवेदन करेगा।
- (2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर उचित अधिकारी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति से स्वयं उपस्थित होने या अपने आवेदन की समर्थन में अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए प्ररूप जीएसटी एएसएमटी—02 में नोटिस जारी करेगा और आवेदक प्ररूप जीएसटी एएसएमटी—03 में नोटिस का जवाब फाइल करेगा।
- (3) उचित अधिकारी या तो आवेदन अस्वीकृत करने के कारण बताते हुए आवेदन निरस्त करने या अनंतिम आधार पर कर का संदाय अनुज्ञात करते हुए आदेश जारी करेगा जिसमें अनंतिम आधार पर वह मूल्य या दर या दोनों दर्शित करते हुए मूल्यांकन अनुज्ञात किया जाना है तथा वह रकम जिसके लिए बंधपत्र निष्पादित किया जाता है और वह प्रतिभूति जो दी जानी है जो बंधपत्र के अधीन आने वाली रकम के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (4) रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 60 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्ररूप जीएसटी एएसएमटी—05 में एक बंधपत्र उपधारा (3) के अधीन यथा अवधारित रकम के लिए बैंक प्रत्याभृति के रूप में प्रतिभृति के साथ निष्पादित करेगा :
 - परन्तु केन्द्रीय / राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उचित अधिकारी को प्रस्तुत किया गया बंधपत्र इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किया गया बंधपत्र समझा जाएगा।
 - स्पष्टीकरण–इस नियम के प्रयोजनों के लिए ''रकम'' पद में संव्यवहार के संबंध में संदेय एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर की रकम और उपकर सम्मिलित होगा।
- (5) उचित अधिकारी धारा 60 की उपधारा (3) के मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के लिए अपेक्षित जानकारी और अवलेखों मांगने के लिए प्ररूप जीएसटी एएसएमटी—06 में नोटिस जारी करेगा जिसमें प्ररूप जीएसटी एएसएमटी—07 में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा संदेय या लौटाए जाने वाली कोई रकम यदि कोई हो, विनिर्दिष्ट होगी।
- (6) आवेदन उपनियम (5) के अधीन आदेश जारी करने के पश्चात् उपनियम (4) के अधीन प्रस्तुत प्रतिभूति को निर्मुक्त करने के लिए प्ररूप जीएसटी एएसएमटी—08 में आवेदन फाइल कर सकेगा।
 - (7) उचित अधिकारी यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट रकम आवेदक द्वारा संदत्त कर दी गई है प्रतिभूति को निर्मुक्त करेगा और उपनियम (6) के

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

अधीन आवेदन की प्राप्ति के सात कार्य दिवसों की अविध के भीतर **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी—09** में एक आदेश जारी करेगा।